संख्या : 112/XXXVI(1)/2008-6-एक(2)/06

प्रेषक,

आर०डी० पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 27 मार्च, 2008

विषय : प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्ठी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुति एवं उस क्रम में मा०उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में दिनांक 21 मार्च, 2002, दिनांक 06.12.2005 एवं दिनांक 07.02.2006 को पारित आदेशों के संदर्भ में उत्तराखण्ड राज्य न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्यों को एल-एल०एम० डिग्री धारक होने पर 3 अग्रिम वेतन वृद्धि दिया जाना एवं ड्राईंग रूम का सुसज्जीकरण किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या संख्या 54-एक(1)/XXXVI(1)/2006-6-एक (2)/06 दिनांकित 25 अगस्त, 2006 के क्रम मे उच्चतर न्यायिक सेवा/उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा के सदस्यों को मा० शेट्ठी आयोग द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में, मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मे दिनांक 21 मार्च, 2002, दिनांक 06.12.2005 एवं दिनांक 07.02.2006 को पारित निर्णय के अनुपालन मे पूर्व मे अनुमन्य की गई सुविधाओं के क्रम में निम्न और सुविधाएें अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) <u>एल-एल०एम० उपाधि धारकों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दिया जाना :-</u>

(i) दिनांक 1.11.1999 को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा/उत्तराखण्ड राज्य न्यायिक सेवा के जो सदस्य न्यायिक सेवा में कार्यरत थे और उनके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा संस्थागत छात्र के रूप में प्रदत्त एल-एल०एम० (विधि में स्नातकोत्तर) की उपाधि थी, उन्हें दिनाक 1.11.1999 को जिस वेतनमान में वह कार्यरत थे उस वेतनमान में उनके मूल वेतन पर दिनांक 1.11.1999 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य होंगी।

(ii) दिनांक 1.11.1999 के बाद सेवा में आने वाले अधिकारियों को, यदि सेवा में प्रवेश करने से पूर्व ही उनके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा संस्थागत छात्र के रूप में प्रदत्त एल-एल०एम० की उपाधि है, तब उन्होंने जिस तिथि को न्यायिक सेवा

में प्रवेश किया हो अथवा वह प्रवेश करेंगे, उस तिथि को उनके मूल पद के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ उस तिथि से अनुमन्य होंगी।

(iii) यदि न्यायिक सेवा में कार्यरत रहने के दौरान विभागीय अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त यदि कोई अधिकारी पूर्ण रूप से अपने शुल्क पर संस्थागत छात्र के रूप में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एल–एल0एम0 की डिग्री प्राप्त करता है, तो वह जिस तिथि को एल–एल0एम0 की उपाधि प्राप्त करते हैं उस तिथि को वह जिस वेतनमान में कार्यरत थे, उस वेतनमान में उनके मूल वेतन पर उस तिथि से तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ अनुमन्य होंगी। सरकार द्वारा वित्तपोषित एल–एल0एम0 उपाधि प्राप्त करने पर उक्त सुविधा देय नहीं होगी।

(iv) उपर्युक्त तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों पर महगाई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

(v) इस प्रकार की वेतन वृद्धि जिस वेतनमान में न्यायिक अधिकारीगण कार्यरत हो मात्र एक बार अनुमन्य होगी तथा किसी भी स्थिति में जिस वेतनमान में न्यायिक अधिकारीगण कार्यरत हों, उस वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा न हो अर्थात धनराशि तीन अग्रिम वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी वेतनमान की अधिकतम की सीमा में ही होगी।

(2) **<u>ड्राईंग रूम का सुसज्जीकरण :–</u>**

उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा/राज्य न्यायिक सेवा के प्रत्येक सदस्य को ड्राईंग रूम हेतु एक सोफा सैट (एक तीन सीटर एवं दो सिंगल सीट), एक सेन्टर टेबल, दो साईड टेबल, चार सामान्य कुर्सियाँ एवं एक इमरजेन्सी लाईट की अनुमन्यता होगी। यह सुविधा शासकीय आवास, किराये के आवास अथवा निजी आवास जिसमें भी वह तैनाती के समय अध्यासित हो तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगी। यह अनुमन्यता केवल सेवाकाल तक ही होगी और किसी अधिकारी के स्थानान्तरण अथवा अन्य किसी कारण से कार्यभार छोड़ने के उपरान्त उसके द्वारा इसे सम्बन्धित जिले के जिला न्यायाधीश को वापस किया जायेगा एवं जिला न्यायाधीश द्वारा इसे अन्य अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार जिला न्यायाधीश के नियंत्रण में तैनात न्यायिक अधिकारियों के प्रयोजन हेतु राजकोष से क्रय की गई सामग्री के भण्डार प्रबन्धन की पंजी, रख रखाव एवं उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी कार्य जिला न्यायाधीश के नियन्त्रणाधीन होगा। उक्त सामग्री मजबूत, टिकाऊ एवं गुणवत्तापूर्ण होगी तथा मितव्ययता के सिद्धान्त पर होगी। सामग्री का क्रय सामान्य प्रक्योरमैन्ट रूल्स के अधीन किया जायेगा। सामान्यतया इस प्रकार की सामग्री की दीर्घ कालीन अवधि के बाद वृहद मरम्मत या बदलने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सामान्य स्थिति में यदि कोई छोटी–मोटी टूट–फूट हो तब उसकी

मरम्मत सामान्य कार्यालय व्यय से की जायेगी। जो न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश के अधीन न्यायालयों में तैनात नहीं हैं अपितु अन्य विभागों/प्रतिनियुक्ति/कुटम्ब न्यायालयों में तैनात हैं, उन्हें यह सामग्री उनके विभाग/अधिष्ठान द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी जिसे वह कार्यभार छोड़ने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग/अधिष्ठान को वापस करेंगे, इस हेतु भी एक पंजी सम्बन्धित विभाग/अधिष्ठान द्वारा रखी जायेगी और उक्त प्रक्रियायें भी विभाग के द्वारा पूर्ण की जायेंगी।

2– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 910/xxvii(7)2008 दिनांक 17–3–2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0डी0 पालीवाल)
सचिव,

संख्या : 112/XXXVI(1)/2008–6–एक(2)/2006 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।
4– प्रमुख सचिव, विधायी, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6– समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
7– निबन्धक, लोक सेवा अधिकरण, 25–ए, फेज–II, बसन्त विहार, देहरादून।
8– अध्यक्ष, उत्तराखण्ड व्यापार कर अधिकरण, हरिद्वार रोड रिस्पना पुल से पहले, देहरादून।
9– अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, सी–7, ले.न. 1, शास्त्रीनगर, देहरादून।
10– सचिव, लोकायुक्त, 218, किशननगर (सिरमौर मार्ग) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
11– निबन्धक, राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, प्रथम तल, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिला न्यायालय परिसर, देहरादून।
12– सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रथम तल, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिला न्यायालय परिसर, देहरादून।
13– निदेशक,उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कैम्प, मा0उच्च न्यायालय परिसर,नैनीताल।
14– महा प्रशासक, उत्तराखण्ड, मा0 उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
15– अपर सचिव (विधि), लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार।
16– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
17– वित्त अनुभाग–5/कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
18– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव।